

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक-
प्रति.

/रीडर/भू. अ./2018

1393

खण्डवा दिनांक-25.5.2018

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय-

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 उद्घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा

—00—

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा-19 उद्घोषणा की प्रतियां (एक मूल प्रति एवं फोटोप्रति) आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।



(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा
खण्डवा दिनांक-25.5.2018

क्रमांक-
प्रतिलिपि-

/रीडर/भू. अ./2018

1394

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर धारा-19 उद्घोषणा की चार- प्रतियां भेजकर निवेदन है कि, कृपया इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में इनका प्रकाशन करवाकर इसकी -एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा-19 उद्घोषणा को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार खण्डवा की ओर -6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम सहेजला की चौपाल पर

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं 145 एलए./2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 10/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 25/05/2018

// धारा 19-उद्घोषणा //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	सहेजला
(घ) अर्जित रकबा	:	0.04 हैक्टर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा
91	0.04
कुल योग	0.04

2) सार्वजनिक प्रायोजन- नावली तालाब के ग्राम सहेजला के कृषक को रास्ता उपलब्ध कराने बाबत।

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(विशेष गणपाले)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला- खण्डवा